निदेशालय
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड
सुद्धौवाला निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़, देहरादून ।
दूरभाष नं0 0135.2775813, 14, ई0मेलः dir.icds.ua@g mail.com

प्रेषक,

निदेशक,
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

अध्यक्ष,
उत्तराखण्ड मानवाधिकार आयोग,
6, ब्रम्हावाला, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।

पत्रांकः 324/उ.मा.अधि.– /2021–22 दिनांकः 29 मई, 2021

विषय : केस संख्या 432/35/6/2020, दिनांक 25.03.2021 के क्रम में जारी नोटिस पत्र के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के नोटिस पत्र संख्या 2873, दिनांक 26.03.2021 द्वारा श्री आकाश कुमार सैनी के प्रतिउत्तर में की गई शिकायत पर **दिनांक 31.05. 2021** तक आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है। उक्त प्रतिउत्तर के क्रम में आख्या निम्नवत है :

1. आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा समय–समय पर जो भी मांगे की जाती है उन्हें शासन स्तर पर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया जाता है, किन्तु कभी भी कार्यकर्ती द्वारा अपने स्वास्थ्य से सम्बन्धित कोई भी मांग निदेशालय को नहीं प्रेषित की गई हैं।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि परिस्थितियों के अनुसार समय–समय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश एवं नियम जारी किये जाते है। वर्तमान में कोविड–19 महामारी के संक्रमण के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत Frontline worker होने के कारण शासन के आदेश दिनांक 09.04.2021 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा **कोरोना वायरस** (Covid-19) **संक्रमण की रोकथाम/बचाव कार्यों में तैनात समस्त सरकारी कार्मिक (संविदा, आउटसोर्स इत्यादि) एवं सभी कोरोना वारियर्स** (corona warriors)**, यदि वे संक्रमित होते है, तो उनके उपचार का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा एवं उनके जीवन की क्षति होने पर उनके आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से सीधे रू0 10.00 लाख (रूपय दस लाख मात्र) राहत राशि/सम्मान निधि के रूप में दिये जाएंगें।** उक्त पत्र के क्रम में शासन के पत्र संख्या 15/नोडल प्रवासी–1/2021, दिनांक 17.05.2021 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को उपरोक्त शासनादेश दिनांक 09.04.2021 से आच्छादित किया जाए और कोविड वॉरियर की सुविधा प्रदान की जाए।

इसके साथ ही समय–समय पर समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को sanitizer, mask, face shield, gloves आदि भी उपलब्ध करवाये जा रहे है।

2. आंगनवाड़ी कर्मी कल्याण कोष के तहत आंगनवाड़ी कार्मिकों को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर शासनादेशानुसार (छायाप्रति संलग्न) एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाता है।

निदेशालय
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड
सुद्धौवाला निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़, देहरादून ।
दूरभाष नं0 0135.2775813, 14, ई0मेलः dir.icds.ua@g mail.com

3. बिन्दु का प्रतिउत्तर बिन्दु संख्या 01 में समाहित है।
अतः सूचना अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ. एस.के.सिंह)
उप निदेशक